



**कार्यालय मुख्य आयुक्त**  
Office of the Chief Commissioner  
**सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर**  
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा. सं.: GCCO/II/3/TRAN/4/2026- ADMN

**स्थापना आदेश सं.: 18/2026**

दिनांक: ई-हस्ताक्षरित

मुख्य आयुक्त कार्यालय के स्थापना आदेश सं. CCU-41/2026 दिनांक 12.06.2026 के अंतर्गत कार्यकारी सहायक से निरीक्षक के पद पर पदोन्नत अधिकारियों के निम्नानुसार आवंटन / पदस्थापना आदेश तत्काल प्रभाव से एवं अग्रिम आदेशों तक जारी किये जाते हैं:-

क्रम. सं.	निरीक्षक का नाम	जन्मतिथि	कहाँ से	कहाँ को
1.	Ms. Sunita Saini	25.11.87	On promotion	CCO, Jaipur
2.	Shri Arvind Sain	01.11.81	On promotion	CGST, Jodhpur
3.	Shri Varun Yadav	24.03.86	On promotion	CGST, Udaipur
4.	Shri Anil Birle	07.11.82	On promotion	CGST, Udaipur
5.	Shri Chetan Kumar Pareek	17.05.85	On promotion	CGST, Jodhpur
6.	Ms. Bhumika Gautam	14.06.92	On promotion	Customs (On loan basis to DGHRD, New Delhi)
7.	Shri Pushpendra Singh	30.06.90	On promotion	CGST, Alwar
8.	Shri Om Prakash Dudi	04.11.88	On promotion	CGST, Jodhpur
9.	Shri Koshal Kumar Rohilla	11.01.90	On promotion	CGST, Jaipur
10.	Shri Maneesh Kumar	05.07.85	On promotion	CGST, Alwar
11.	Shri Rishi Raj Pabri	03.06.85	On promotion	CGST, Udaipur
12.	Shri Santosh Kumar Meena	01.07.89	On promotion	CGST, Jodhpur
13.	Shri Man Mohan Sharma	11.07.86	On promotion	CGST, Udaipur

**नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 (राजस्थान)**

फोन : 0141-2385155; फैक्स : 0141-2385130, ईमेल : [ccu-cexjpr@nic.in](mailto:ccu-cexjpr@nic.in),

वेबसाइट: [www.cgstjaipur.gov.in](http://www.cgstjaipur.gov.in), ट्वीटर : @CGSTJAIPURZONE

14.	Shri Pranav Sharma	26.03.89	On promotion	CGST, Jodhpur
15.	Shri Rakesh Kumar Sharma	18.03.90	On promotion	CGST, Alwar
16.	Shri Kaptan Singh	10.07.89	On promotion	CGST, Udaipur
17.	Shri Kripa Shankar Singhwal	05.09.89	On promotion	CGST, Alwar
18.	Shri Akhil Sheoran	29.07.92	On promotion	CCO, Jaipur
19.	Shri Yogesh Sharma	24.01.90	On promotion	CCO, Jaipur

2. इस कार्यालय द्वारा सामान्य वार्षिक स्थानान्तरण 2026 के अंतर्गत जारी स्थापना आदेश सं. 13/2026 दिनांक 12.05.2026 में आंशिक संशोधन करते हुए निरीक्षक श्रेणी में निम्नानुसार आवंटन / पदस्थापना आदेश तत्काल प्रभाव से एवं अग्रिम आदेशों तक जारी किये जाते हैं:-

क्रम. सं.	निरीक्षक का नाम	जन्मतिथि	कहाँ से	कहाँ को
1.	Shri Govind Swami	03.05.89	CGST, Alwar	CGST, Jodhpur (SGNR) (To be reviewed in next AGT)
2.	Shri Santosh Kumar Bairwa	25.08.80	UOT to CGST, Udaipur	CGST, Jaipur (To be reviewed in next AGT)
3.	Shri Manoj Kumar Bairwa	05.01.80	UOT to CGST, Udaipur	CGST, Jaipur (To be reviewed in next AGT)
4.	Shri Gopal Lal Kumawat	01.07.75	UOT to CGST, Udaipur	CGST, Jaipur (To be reviewed in next AGT)
5.	Shri Sanjay Kumar Sah	16.12.73	UOT to CGST, Alwar	Audit, Jaipur (other than Jaipur)
6.	Ms. Smriti Mishra	17.10.94	UOT to CGST, Jaipur (Jaipur)	Audit, Jaipur (Jaipur)
7.	Shri Vishal Meena	01.01.03	CGST, Jodhpur (Jodhpur)	Audit, Jodhpur (Jodhpur)
8.	Shri Vijay Kumar Dhuria	10.06.82	CGST, Jodhpur (Jodhpur)	Audit, Jodhpur (Jodhpur)
9.	Shri Himanshu Verma	14.09.01	CGST, Jaipur (Jaipur)	Customs, Jaipur
10.	Shri Karn Khandelwal	27.09.97	CGST, Jaipur (Jaipur)	Customs, Jaipur

3. चूँकि श्री गोविन्द स्वामी, निरीक्षक (क्रम संख्या 1) को उनके स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरित किया गया है, अतः, उन्हें स्थानान्तरण भत्ता एवं कार्यग्रहण अवधि देय नहीं होगी।

4. उपरोक्त सभी अधिकारियों को तुरंत कार्यभारमुक्त कर निर्देशित किया जाए कि वे अपने नाम के सम्मुख दर्शाए गए आयुक्तालय में कार्यग्रहण करें।

5. संबंधित प्रधान आयुक्त/आयुक्तों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से सम्बंधित स्थापना आदेश दिनांक 24.06.2026 तक आवश्यक रूप से जारी किए जावें। आदेश जारी करते समय, स्थानांतरण नीति दिशानिर्देश, 2018 (यथा संशोधित), अधिकारियों की पोस्टिंग का इतिहास और सीवीसी/ सीवीओ द्वारा समय-समय पर जारी संवेदनशील/ असंवेदनशील पोस्टिंग के संबंध में विभिन्न निर्देशों को ध्यान में रखा जावे।

6. अभी तक प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निस्तारण कर दिया गया है। आगामी किसी भी अभ्यावेदन पर तब तक कोई विचार नहीं किया जाएगा, जब तक अधिकारी तैनाती के नए स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करता है।

यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

(शर्मा सूर्यप्रकाश गुलाबचंद)  
संयुक्त आयुक्त

**प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -**

1. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर/ अलवर/ जोधपुर/ उदयपुर/ अंकेक्षण - जयपुर/ अंकेक्षण - जोधपुर/ अपील्स, जयपुर/ अपील्स, जोधपुर/ सीमा शुल्क (नि.), जोधपुर मु. जयपुर।
2. वेतन एवं लेखाधिकारी, सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
3. सम्बंधित अधिकारी।
4. निरीक्षक संघ/ नोटिस बोर्ड/ गार्ड फ़ाइल।
5. वेबमास्टर - जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।